नंबर व ता
अहकाम
हुक्म की ता
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीनाक्षी मीना, आर.ए.एस.

मु० नं० – 69/2018
प्रकरण दर्ज – 8.6.2018
प्रकरण निस्तारण – 7-1-19

अनुवानी प्रकरण

1. कुल्ली पुत्र जगन
2. लल्लूराम पुत्र जगन
जाति मीना निवासी ग्राम खेड़ी रामला, तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र छोट्या जाति मीना निवासी ग्राम खेड़ी रामला, तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत अधिघोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय दिनांक – 7-1-19

1. पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि वाके ग्राम खेड़ी पटवार हल्का पीलाड़ी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मानपुर तहसील सिकराय जिला दौसा मे स्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 20 रकबा 1.68 है0, खसरा संख्या 33 रकबा 0.01 है0, खसरा संख्या 34 रकबा 0.92 है0, खसरा संख्या 55 रकबा 0.01 है0, खसरा संख्या 56 रकबा 1.00 है0, खसरा संख्या 134 रकबा 0.78 है0, खसरा संख्या 136 रकबा 0.01 है0, खसरा संख्या 137 रकबा 0.38 है0, खसरा संख्या 167/13 रकबा 0.76 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 7.56 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा खातेदारी मे राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज है। उक्त भूमि के सैटलमेंट पूर्व खसरा संख्या 9/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा खसरा संख्या 15 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 24 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 39 रकबा 4 बीघा, खसरा संख्या 87 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 89 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 30 बीघा 6 बिस्वा थे। इसी प्रकार वर्तमान खसरा संख्या 138 रकबा 0.06 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 मे 1/2 हिस्सा खातेदारी मे राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज है। उक्त भूमि के सैटलमेंट पूर्व खसरा संख्या 90 रकबा 5 बिस्वा थे। इसी प्रकार वर्तमान खसरा संख्या 75 रकबा 0.42 हैक्टेयर मे प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा खातेदारी मे राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज है। उक्त भूमि के सैटलमेंट पूर्व खसरा संख्या 50 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा थे। उपरोक्त खातेदारी मे प्रतिवादी संख्या 1 का अकेले का नाम

Meena
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

गलत तौर पर दर्ज हो रहा है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता छोटया व वादीगण के पिता जगन सगे भाई थे जिनके पिता का नाम सोदान था परन्तु सोदान की मृत्यु के पश्चात राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त भूमि की खातेदारी मे बडा होने के कारण अकेले छोट्या के नाम दर्ज हो गई तथा वादीगण के पिता जगन का नाम खातेदारी मे दर्ज होने से रह गया। तथा छोट्या की मृत्यु होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी मे उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गई। खसरा संख्या 138 की खातेदारी मे हिस्सा चम्पला पुत्र हण्डू रामकिशन पुत्र छोटया ब. हि.ब. पून्या मांग्या हरबक्ष पि0 रामपाल हिस्सा 1/4 रामजीलाल वल्द श्रीचन्द हिस्सा 1/4 दर्ज हो रहा है जो कि गलत दर्ज हो रहा है वास्तव मे चम्पला पुत्र हण्डू रामकिशन पुत्र छोट्या ब. हि.ब. 1/2, पून्या मांग्या हरबक्ष पि. रामपाल हिस्सा 1/4,रामजीलाल श्रीचन्द हिस्सा 1/4 होना चाहिये जो भी दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादीगण के पिता जगन व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता छोटया की मृत्यु हो चुकी है। जगन के कानूनी वारिस वादीगण हैं तथा छोट्या का वारिस प्रतिवादी संख्या 1 है। वादग्रस्त आराजी मे बराबर बराबर आधे आधे हिस्से की भूमि पर अपने पूर्वज छोटया व जगन के जीवनकाल से ही काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे। तथा आज भी मौके पर 1/2 – 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं।

इस प्रकार दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री पुनीत शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया व इकबालिया जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य मे जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 प्रदर्श 1, जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 प्रदर्श 2, जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 प्रदर्श 3, नकल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध संवत 2065 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी बन्दोबस्त संवत 2003 से 2022 प्रदर्श 5, नकल खतौनी जमाबन्दी एकीकरण संवत 2017 प्रदर्श 6, नकल खतौनी जमाबन्दी एकीकरण संवत 2017 प्रदर्श 7, नकल खतौनी जमाबन्दी एकीकरण संवत 2017 प्रदर्श व प्रमाणित प्रति निर्वचन नामावली 1988 प्रदर्श 9 पेश की। इसके साथ ही वादी मुरारी का मतदान पहचान पत्र की फोटो प्रति, वादी लल्लूराम के आधार कार्ड की फोटो प्रति व प्रतिवादी रामकिशन के आधार कार्ड की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई। वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य मे वादी मुरारी के बयान कराये गये।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री करने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा भी प्रतिवादी संख्या 1 के इकबालिया जवाबदावे के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व बहस का मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व प्रतिवादी संख्या 1 के इकबालिया जवाबदावा व स्वीकारोक्ति के आधार पर दावा वादीगण साबित है तथा राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषि भूमि ग्राम खेड़ी पटवार हल्का पीलोड़ी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नानपुर तहसील सिकराय जिला दौसा मे स्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या

Meenak

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

20 रकबा 1.68 है0, खसरा संख्या 33 रकबा 0.01 है0, खसरा संख्या 34 रकबा 0.92 है0, खसरा संख्या 55 रकबा 0.01 है0, खसरा संख्या 56 रकबा 1.00 है0, खसरा संख्या 134 रकबा 0.78 है0, खसरा संख्या 136 रकबा 0.01 है0, खसरा संख्या 137 रकबा 0.39 है0, खसरा संख्या 167/13 रकबा 0.76 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 7.56 हैक्टेयर की खातेदारी मे रामकिशन पुत्र छोटया हिस्सा 1/4 मुरारी लल्लूराम पि0 जगन हिस्सा 1/4, खसरा संख्या 138 रकबा 0.06 हैक्टेयर की खातेदारी मे चम्पला पुत्र हण्डू व रामकिशन पुत्र छोट्या मुरारी लल्लूराम पि0 जगन ब.हि.ब. 1/2, पून्या मांग्या हरबक्ष पि0 रामपाल हिस्सा 1/4 रामजीलाल पुत्र श्रीचन्द हिस्सा 1/4 तथा खसरा संख्या 75 रकबा 0.42 हैक्टेयर की खातेदारी मे रामकिशन पुत्र छोटया व मुरारी लल्लूराम पि0 जगन जाति मीना हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी मे दुरूस्ती करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 7-1-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

श्रीमती मीनाक्षी मीणा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा